

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 78/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

श्रीमती खुशबु कुंवर पत्नी श्री लालसिंह राजपूत निवासी: ग्राम चित्तौड़ा, सकलाल,
तहसील-नयागांव, उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 05-08-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 22.04.2024 को आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/78/24/826-27 दिनांक 08.07.2024 से लिखा गया।

जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक प.41/2/लो.सू.अ./प्रथम अपील/78/2024/621 दिनांक 10.07.2024 से कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार नयागांव से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 323-24 दिनांक 24.04.2024 द्वारा अन्तरित कर दिया गया एवं अंतरण की सूचना से प्रार्थी को भी निर्धारित समयावधि में दी जा चुकी है अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय के पत्रांक 323-24 दिनांक 24.04.2024 द्वारा अन्तरित कर दिया गया एवं अंतरण की सूचना से प्रार्थी को भी अवगत करवा दिया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वह लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार नयागांव के समक्ष नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर